भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 383

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

30 आषाढ़, 1943 (शक)

कोविन वेबसाइट की अभिगम्यता

383. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोविड के टीके लगवाने के लिए अनिवार्य कोविन प्लेटफार्म दिव्यांग जनों के लिए अभिगम्य है;

(ख) यदि नहीं, तो इतने महीनों से चल रहे टीकाकरण के बाद भी इस वेबसाइट को और अधिक अभिगम्य नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कोविन पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के लिए इंटरनेट की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए; और

(घ) भारत के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को उस स्तर से अधिक इंटरनेट गति तक पहुंच हासिल है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, हाँ। इस उद्देश्य के लिए को-विन में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल की गई हैं:-

- विशिष्ट **दिव्यांगता** पहचान पत्र (यूडीआईडी)/**दिव्यांगता** प्रमाणपत्र को निर्धारित किए गए फोटो पहचान दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है, जिसका उपयोग **दिव्यांग** व्यक्ति द्वारा को-विन पर पंजीकरण करने के लिए और टीकाकरण के लिए भी कर सकता है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा जारी पहचान पत्रों को भी पंजीकरण और टीकाकरण के लिए अनुमति दी गई है जहां भी नागरिक के पास यूडीआईडी उपलब्ध नहीं है।
- **दिव्यांग** व्यक्ति या तो अग्रिम रूप से स्व-पंजीकरण कर सकते हैं या टीकाकरण केंद्र पर जाकर (वॉक-इन) पंजीकरण का लाभ उठा सकते हैं या को-विन हेल्पलाइन 1075 के माध्यम से सहायता प्राप्त पंजीकरण का लाभ उठा सकते हैं। इन दोनों स्थितियो में, को-विन को डिजिटल इंटरफ़ेस वैक्सीनेटर/हेल्प लाइन ऑपरेटरों द्वारा संचालित किया जाता है।
- बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए नियर टू होम कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में मार्गदर्शन नोट निम्नलिखित लिंक mohfw.gov.in/pdf/GuidanceNeartoHomeCovidVaccinationCentresforElderlyand DifferentlyAbledCitizens.pdf के माध्यम से स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- यह प्रस्तुत किया जाता है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुच को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय पहले ही किए जा चुके हैं:
    - टेक्स्ट कैप्चा की सुविधा को हटा दिया गया है।
    - दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सूचना सामग्री तक अभिगम्यता में सुधार के लिए को-विन वेबपेजों पर टेक्स्ट के आकार को बदलने के विकल्प शामिल किए गए हैं।
    - यह सुनिश्चित किया गया है कि संबंधित तिथियों पर उपलब्ध वैक्सीन स्लॉट की संख्या निर्धारित करते समय टेबल हेडर संबंधित सेल के अनुरूप हों।
    - को-विन वेबसाइट को चलाने के लिए कीबोर्ड सहायता को उपलब्ध कराया गया है।
    - प्रत्येक व्यक्ति को को-विन वेबसाइट के स्वतः लॉग ऑफ होने की संभावना के बिना अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को निर्धारित करने के लिए पंद्रह मिनट का समय सत्र प्रदान किया गया है।

(ख): भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग): को-विन पर सफल पंजीकरण किसी भी इंटरनेट स्पीड का उपयोग करके किया जा सकता है और इसके लिए किसी न्यूनतम इंटरनेट स्पीड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट तक अभिगम के बिना भी लाभार्थियों द्वारा ऑन-साइट पंजीकरण/वॉक-इन अपॉइंटमेंट के माध्यम से या परिवार/दोस्तों की मदद से सहायता प्राप्त पंजीकरण के जरिए, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) भारत में कार्यात्मक रूप से 3.99 लाख सीएससी है, जिनमें से 3 लाख जीपी स्तर पर कार्यरत हैं।), राष्ट्रीय कोविड हेल्पलाइन (1075) और राज्य एकीकृत हेल्पलाइन आदि के माध्यम से को-विन पर पंजीकरण और टीकाकरण किया जा सकता है।

(घ): अप्रैल 2021 में प्रकाशित की गई ट्राई की रिपोर्ट, "इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट" के अनुसार कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर 795.18 मिलियन हैं, जिनमें से ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर 308.17 मिलियन हैं।

****